पूर्वोत्तर रेलवे

कार्यालय
महाप्रबन्धक (कार्मिक)
गोरखपुर।

ई0पी0सं0– 18– 01
कमांक–218 /2017
आरबीई सं0–141/2017
सं0 ई/572/23/भाग–III/चार

दिनॉक 16–10–2017

सचिव/महाप्रबन्धक
सचिव/अपर महाप्रबन्धक
सभी विभागाध्यक्ष
सभी मण्डल रेल प्रबन्धक
सभी कार्मिक अधिकारी
सभी मुख्य कारखाना प्रबन्धक
सभी अतिरिक्त मण्डलाधिकारी/स्थापना
पूर्वोत्तर रेलवे।

विषय:–सातवें केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों का कियान्वयन–पोशाक भत्ता।

रेलवे बोर्ड का पत्र सं0 पीसी–VII/2017/1/7/5/7 दिनांक 03.10.2017 की हिन्दी एवं अंग्रेजी प्रतिलिपि सूचना, मार्गदर्शन एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न कर प्रेषित की जा रही है।

संलग्नक/यथोपरि

(यू0 पी0 सिंह)
उपमुकाधि/अराज.
कृते महाप्रबन्धक/कार्मिक

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– महामंत्री/एन.ई.रेलवे मजदूर यूनियन/गोरखपुर – 40 प्रतियों में।
2– महामंत्री/प्रमोटी अधिकारी संघ/पूउरे/गोरखपुर – 02 प्रतियों में।
3– महामंत्री/रेसुब एशोसियेशन/पूउरे/गोरखपुर – 02 प्रतियों में।
4– पूर्वोत्तर रेलवे प्रथम श्रेणी अधिकारी संघ/गोरखपुर – 01 प्रति में।
5– महामंत्री/एससी/एसटी एवं ओबीसी एशोसियेशन/गोर0–02 प्रतियों में।
6– मुकार्याधी/एमपीपी को बेबसाइट पर अपलोड हेतु – 01 प्रति में।

कृते महाप्रबन्धक/कार्मिक

भारत सरकार /GOVERNMENT OF INDIA
रेल मंत्रालय/MINISTRY OF RAILWAYS
(रेलवे बोर्ड/RAILWAY BOARD)

पीसी-VII सं.-64
सं. पीसी-VII/2017/I/7/5/7

आरबीई सं. 141/2017
नई दिल्ली, दिनांक 03.10.2017

महाप्रबंधक/मुख्य प्रशासनिक अधिकारी (निर्माण),
सभी भारतीय रेलें एवं उत्पादन इकाइयां,
(डाक-सूची के अनुसार)

विषय: सातवें केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों का क्रियान्वयन - पोशाक भत्ता।

विद्यमान अनुदेशों के अनुसार, रेल कर्मचारियों को यथा स्वीकार्य भुगतान किए जा रहे वर्दी से संबंधित भत्तों में किट अनुरक्षण भत्ता, जूता भत्ता, वर्दी भत्ता और धुलाई भत्ता शामिल था।

2. सातवें केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर सरकार द्वारा लिए गए निर्णय के परिणामस्वरूप, वर्दी से संबंधित इन भत्तों को एक सिंगल पोशाक भत्ता में शामिल कर दिया गया है। राष्ट्रपति द्वारा इन कोटि के कर्मचारियों को नीचे दिए गए दरों पर पोशाक भत्ता प्रदान करना सहर्ष स्वीकार किया गया है:

क्र. सं.	कर्मचारियों की कोटि	दर (रुपये)
1.	रेलवे सुरक्षा बल/रेलवे सुरक्षा विशेष बल के अधिकारी	20,000/- प्रति वर्ष
2.	रेलवे सुरक्षा बल में अधिकारी से नीचे के ओहदे के पदाधिकारी, भारतीय रेलवे के स्टेशन मास्टर	10,000/- प्रति वर्ष
3.	अन्य कोटि के कर्मचारी जिन्हें वर्दी दिया जाता है और जिन्हें नियमित रूप से पहनना अपेक्षित होता है; जैसेकि ट्रैकमैन, भारतीय रेलवे के रनिंग कर्मचारी, स्टाफ कार ड्राइवर, एमटीएस, गैर-सरकारी विभागीय कैंटीनों के कैंटीन कर्मचारी आदि	5,000/- प्रति वर्ष
4.	नर्स	1800/- प्रति माह

3. पोशाक भत्ते की इस अधिसूचना के साथ ही वर्दियों के अनुरक्षण और धुलाई सहित वर्दी

Received 16.10.2015 4.30 मिनट
16.10.17

से संबंधित मौजूदा भत तों का अब अलग-अलग भुगतान नहीं किया जाएगा। अत: जूता भत ता सहित वर्दी से संबंधित ऐसे अलग-अलग भतों के भुगतान से संबंधित मौजूदा आदेशों को समाप्‍ त किया जाता है।

4. पोशाक भत ते के इस भुगतान के साथ ही, कर्मचारियों के उन कोटियों, जिन्‍ हें पहले वर्दी मुहैया कराई जाती थी, को अब वर्दी नहीं मुहैया की जाएगी।

5. पोशाक भत ते की राशि वर्ष में एक बार जुलाई माह में सीधे पात्र कर्मचारियों के वेतन खाते में जमा की जाएगी।

6. इस भत ते में कर्मचारियों का केवल बेसिक वर्दी शामिल है। भारतीय रेलवे के ट्रैकमैन.को दिए जाने वाले चमकीले कपड़ों जैसे विशेष वर्दी मौजूदा मानदण्‍ डों के अनुसार दिए जाते रहेंगे।

7. प्रत्‍ येक बार महंगाई भत ता 50% बढ़ जाने की स्थिति में वर्दी भत ते की दर में 25% की वृद्धि की जाएगी।

8. ये आदेश 1 जुलाई, 2017 से प्रभावी होंगे।

(जया कुमार जी)
उप निदेशक(वेतन आयोग)VII
रेलवे बोर्ड

PORNA OFFICIAL; PC-VII_New

GOVERNMENT OF INDIA (BHARAT SARKAR)
Ministry of Railways (Rail Mantralaya)
(Railway Board)

PC-VII No.- 64
File No. PC-VII/2017/I/7/5/7

RBE No. 141/2017
New Delhi, Dated: 03.10.2017

The General Managers/ CAOs(R),
All Indian Railways and Production Units,
(As per mailing list)

Subject: **Implementation of the recommendations of the Seventh Central Pay Commission – Dress Allowance.**

In terms of extant instructions, the Uniform- related allowances being paid to Railway employees as admissible included Kit Maintenance Allowance, Shoe Allowance, Uniform Allowance and Washing Allowance.

2. Consequent to the decision taken by the Government on the recommendations of the 7th CPC, these uniform-related allowances have been subsumed into a single Dress Allowance. The President is pleased to approve payment of this Dress Allowance to the categories of employees and at the rates as listed below:

S.No.	Category of employee	Rate (in ₹)
1.	Officers of RPF/RPSF	20,000/- per annum
2.	Personnel Below Officer Rank of RPF, Station masters of Indian Railways	10,000/- per annum
3.	Other categories of staff who were supplied Uniforms and are required to wear them regularly like Trackmen, Running Staff of Indian Railways, Staff Car Drivers, MTS, Canteen staff of Non-Statutory departmental Canteens, etc.	5,000/- per annum
4.	Nurses	1800/- per month

3. With this notification of Dress Allowance, existing uniform-related allowances including those for maintenance & washing of uniforms, will no longer be payable separately. Existing orders for payment of such separate uniform-related allowances including Shoe Allowance therefore stand superseded.

4. With the payment of this Dress Allowance, categories of staff who were earlier being provided Uniforms, will henceforth not be provided with Uniforms.

5. The amount of Dress Allowance shall be credited to the salary of entitled employees directly once a year in the month of July.

6. This allowance covers only the basic uniform of the employees. Any special clothing like the fluorescent clothing provided to Trackmen of Indian Railways will continue to be provided by this Ministry as per existing norms.

7. The rates of Dress Allowance will go up by 25% each time Dearness Allowance rises by 50%.

8. **These orders shall take effect from 01st July, 2017.**

Hindi version will follow.

(Jaya Kumar G)
Deputy Director(Pay Commission) VII
Railway Board

No. PC-VII/2017/I/7/5/7 **New Delhi, dated: 03.10.2017**

Copy (with 40 spares) forwarded to the A.D.A.I., Railways, New Delhi.

For Financial Commissioner, Railways

No. PC-VII/2017/I/7/5/7 **New Delhi, dated:03.10.2017**

Copy forwarded to :-

1. PFAs, All Indian Railways, PUs, NFR(Const).
2. The DG, National Academy of Indian Railways, Vadodara.
3. The General Manager, CORE/Allahabad
4. The Director General, RDSO, Lucknow,
5. The General Manager and PFA, Metro Railway
6. The CAO and PFA, COFMOW/New Delhi
7. The CAO(Const), MTP(R)/Mumbai
8. The CAO(MTP(R) Chennai
9. The Director, CAMTECH/Gwalior
10. The Director (a) IRIEEN, Nasik, (b) IRICEN, Pune (c) IRIMEE, Jamalpur (d) IRISET, Secunderabad
11. The Managing Directors RITES, IRCON, CRIS, IRFC, CONCOR, RVNL, DFCCIL, KRCL.
12. The Chairman-cum-Managing Director, Konkan Railway Corporation, New Delhi.
13. The Pay & Accounts Officer, Railway Board, Rail Bhawan, New Delhi.
14. The General Secretary, IRCA/New Delhi.
15. The Commissioner, Railway Safety, Lucknow.